

E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक,
भू-अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी समाहर्ता, बिहार।

विषय:-

अर्जित/अधिग्रहित भूमि का प्राक्कलन/प्रतिकर राशि का अधिनिर्णय करने की अधिसीमा का पुनर्निर्धारण।

पटना, दिनांक :- 28/01/2022

महाशय,

आप अवगत है कि बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2014, राजस्व विभागीय अधिसूचना सं0-1401/रा0, दिनांक-27.10.2014 द्वारा निर्गत एवं संसूचित है। नियमावली के अध्याय-vii के नियम-31 के उप नियम (7), (8) एवं (9) के अंतर्गत भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन/प्रतिकर राशि की विनिश्चित सीमा तक अधिनिर्णय हेतु सक्षम प्राधिकार का निर्धारण किया गया है।

2. नियमावली के नियम 31 के उप नियम (10) के तहत यह प्रावधानित है कि जिला समाहर्ता या प्रमंडलीय आयुक्त के लिए प्राधिकृत वित्तीय सीमा, प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को, स्वतः दस प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी।

3. तदनुसार नियमावली के नियम-31 के उप नियम-(10) के प्रावधानानुसार अर्जित/अधिग्रहित भूमि का प्राक्कलन/प्रतिकर राशि का दिनांक-01.01.2022 के प्रभाव से दिनांक-31.12.2022 तक अधिनिर्णय करने की अधिसीमा का निर्धारण निम्नवत संसूचित किया जाता है:-

(I) भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन/प्रतिकर की रकम मो0-21.43 (इक्कीस करोड़ तैतालीस लाख) रुपये तक होने पर, जिला समाहर्ता अधिनिर्णय करने तथा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा करने हेतु सक्षम होंगे।

(II) भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन/प्रतिकर की रकम मो0-21.43 (इक्कीस करोड़ तैतालीस लाख) रुपये से अधिक और रकम मो0-53.58 (तिरपन करोड़ अठावन लाख) रुपये तक होने पर समाहर्ता द्वारा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा के पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त अधिनिर्णय करने हेतु सक्षम होंगे।

(III) भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन/प्रतिकर की रकम मो0-53.58 (तिरपन करोड़ अठावन लाख) रुपये से अधिक होने पर समाहर्ता द्वारा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा के पूर्व राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आज्ञापक होगा।

कृपया तदनुसार अर्जित/अधिग्रहित भूमि का प्राक्कलन/प्रतिकर राशि के अधिनिर्णय करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वनाथभाजु 122
(सुशील कुमार),
निदेशक,
भू-अर्जन, बिहार।